

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

उत्तर रेलवे द्वारा सीतापुर कैंट-रोजा सेक्शन (किमी० सं० 0.000 से 80.300 तक) के रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 6.1133 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35 वृक्षों के पातन, भाहजहांपुर वन प्रभाग में प्रभावित 8.80 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8 वृक्षों के पातन, सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 30.6259 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1203 वृक्षों के पातन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग में प्रभावित 24.06 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 454 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 69.5992 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 1700 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal संख्या-FP/UP/rail/ 40280/2019

राज्य सरकार की सिफारिश वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- पी 57/81-2-2019 -800(78)/2019, दिनांक 26 जुलाई 2019 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)
दिनांक-

हस्ताक्षर
(*mrg/14/1*)
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव पदनाम
पर्यावरण, वन एवं जल संसाधन विभाग
सरकारी मोहर
उ० प्र० कार्यालय